

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
बाबूराम बनाम हरिगराम वगैरा  
धारा 136  
प्रकरण संख्या 3/2011


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 3/2011 बाबूराम बनाम हरिगराम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जाँच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम धुन्धाडा तहसील लूणी के खसरा नम्बर 719 ग्राम धुन्धाडा में हरिया पुत्र सिविया का नाम विलोपित कर रिकॉर्ड दुरुस्ती करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें तहसीदार लूणी से जवाब/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक/भूअ/2022/1845 दिनांक 18.04.2022 के तहत जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार द्वारा 01.ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 719 में बाबूराम पुत्र शिवाराम 1/3 ओमाराम वगैरा पुत्र लाबूराम 1/3 हरीगराम पुत्र शिवाराम का 1/6 व हरिराम पुत्र शिवाराम का 1/6 के रूप में संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज है 02. वक्त सैन्टलमेन्ट सिवा पुत्र जवान व हरीया पुत्र सिविया दर्ज था। 03. ग्राम धुन्धाडा के नामान्तरकरण स, 322 के जरिये सिवा फौत होने पर हरीगराम लाबूराम बाबूराम पि, सिवा दर्ज हुआ। 04. वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हरीगराम पुत्र शिवाराम व हरीराम पुत्र शिवाराम एक ही व्यक्ति है।

अतः- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है प्रकरण 136 के तहत रिकॉर्ड दुरुस्ती का नहीं बनता है प्रकरण खारिज योग्य है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

  
सहायक जलदज एवं राजस्व अधिकारी  
राजी